उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3

संख्या-1/2015/सा-3-जी0आई0-02/दस-2015-301/2000

लखनऊ: दिनॉक : 12 जनवरी, 2015

उत्तर प्रदेश शासन के समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं कोषाधिकारियों को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-42/10/2014-P&PW(G), दिनॉक 20 अक्टूबर, 2014 की प्रति इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अखिल भारतीय सेवाओं के पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स जो पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत अपुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन अथवा अनन्तिम पेंशन पा रहे हैं, को उक्त आदेशानुसार महँगाई राहत का भुगतान किया जाये।

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

संख्या-1/2015/सा-3-जी0आई0-02(1)/दस-2015-301/2000, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- निदेशक, पेंशन निदेशालय, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।

5- निदेशक, पेंशन, उत्तराखण्ड, देहरादून।

6- निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

नील रतन कुमार

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in